चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र / 2 / 2013पार्ट

जयपुर, दिनांक : 16-09-2020

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य की 3848 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव माह सितम्बर–अक्टूबर, 2020 में करवाये जा रहे हैं (प्रति संलग्न है)। मतदान चार चरणों में सम्पन्न होगा। अतः प्रथम चरण चुनाव दिनांक 28.09.2020 (सोमवार), द्वितीय चरण चुनाव दिनांक 03.10.2020 (शनिवार), तृतीय चरण चुनाव दिनांक 06.10.2020 (मंगलवार) तथा चतुर्थ चरण चुनाव दिनांक 10.10.2020 (शनिवार) मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र / क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ.7(1)(1)पंचा / रानिआ / 2019 / II / 7198

दिनांक 17.09.20

प्रतिलिपिःजिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत),अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू,दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली,नागौर, पाली, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव